प्रेस विज्ञप्ति ***दिनॉक 08.07.2024*** ***जनपद – संतकबीरनगर***

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0स0 282/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता राजू पुत्र मोहित निवासी ग्राम माहूल थाना अहिरौला जनपद आजमगढ को बिड़हरघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजू पुत्र मोहित निवासी ग्राम माहूल थाना अहिरौला जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 282/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 08.05.2024 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा गश्त के दौरान रामजानकी मार्ग पर बड़गो गाँव के पास एक ट्रक रजि0 न0 UP50BT5100 में 06 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया था जिसके उपरान्त थाना धनघटा पर अभियोग पजीकृत करते हुए आज दिनांक 08.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ शर्मा, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 76 वाहनों से 1,15,000 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 76 वाहनों से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।